फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :— **श्रीमती नारायणी** विपक्षी :— **श्री मुकेश**

किस्म मुकदमा :— 212 रा.का.अधिनियम पत्रावली संख्या :— 12／25

जीसीएमएस नम्बर :— 2025／60

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 11.09.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर जवाब पेश नहीं किया। अतः विपक्षी संख्या 1 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी.आई. सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी. आई. पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात की मैं प्रार्थीया एकमात्र स्वामी हुं और मेरे ही उपयोग उपभोग में है। वादग्रस्त आराजीयात पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन ताकत के बल पर अनाधिकार रूप से कब्जा कर मेरी खातेदारी की आराजीयात में निर्माण करने पर आमादा है जिसका विपक्षीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं होने का कथन कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में वादग्रस्त आराजीयात पर विपक्षीगण का कब्जा होना बताकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज के अध्ययन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीया के नाम स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थीया खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं परन्तु मौके पर विपक्षीगण का कब्जा भी हो सकता है एवं प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में विपक्षीगण को कब्जे से बेदखल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:21 IST
Reason: SelfAttested

कर सकती है। इस कारण यदि उभय पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो मौके पर विवाद बढने की सम्भावना प्रतीत होती है तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी भी बढेगी तथा इससे उभय पक्षकारान के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में दिनांक 10.02.2025 से उभय पक्षकारान के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली की जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 207 पर दर्ज आराजी नम्बर 3593/1296, 3595/1298 किता 2 कुल रकबा 0.1456 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उभय पक्षकारान एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:21 IST
Reason: SelfAttested